मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गांरटी परिषद्, भोपाल

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462011

क्रमांक/3656 /NR-10/MGNREGA-MP/2016 दिनांक : 18/04/2016

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक,
   महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.,
   जिला– समस्त (म.प्र)

विषयः– ग्राम पंचायतों पर फेवलेट/टेबलेट के उपयोग के संबंध में।

संदर्भः– म.प्र.शासन का पत्र क्र. 1500/ NR-10/2014, भोपाल, दिनांक 19/02/2014
म.प्र.शासन का पत्र क्र. 10441/ NR-10/2015, भोपाल, दिनांक 02/12/2015

––––00––––

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र दिनांक 02/12/2015 अनुसार माह जनवरी 2016 तक मोबाईल मॉनिटरिंग सिस्टम का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु समस्त ग्राम रोजगार सहायक तथा उपयंत्री महात्मा गाँधी नरेगा के पास परिषद् के निर्देशानुसार मोबाईल मॉनिटरिंग सिस्टम हेतु मोबाईल डिवाईज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये थे।

सशक्त समिति की बैठक दिनांक 23 फरवरी 2016 के निर्देशों के अनुक्रम में वर्तमान में राशि की कमी को देखते हुये मोबाईल मॉनिटरिंग सिस्टम में उपलब्ध संसाधन के अनुक्रम में ही कार्य किया जाये। प्रथम चरण में यथासंभव 01 क्लस्टर पंचायतों में 01 टेबलेट मोबाईल मॉनिटरिंग सिस्टम का पायलेट किया जाये तथा पायलेट हेतु चयनित 01 क्लस्टर पंचायत में 01 टेबलेट मोबाईल की प्रतिपूर्ति राशि रु 6 हजार की जाये।

प्रतिपूर्ति की राशि जिले के प्रशासनिक खाते से की जाये तथा प्रतिपूर्ति करने हेतु नियम एवं शर्तें विभाग के आदेश क्र. 10441/ NR-10/2015, भोपाल, दिनांक 02/12/2015 का पालन सुनिश्चित किया जाये।

अतः आदेश क्र. 10441/ NR-10/2015, भोपाल, दिनांक 02/12/2015 द्वारा समस्त ग्राम पंचायतों में माह जनवरी/फरवरी 2016 से मोबाईल मॉनिटरिंग के माध्यम से डाटा अपलोड करने की अनिवार्यता को शिथिल किया जाता है। द्वितीय चरण में भारत सरकार से आवश्यक राशि प्राप्त होने पर अन्य ग्राम पंचायतों में मोबाईल डिवाईज हेतु प्रावधानित राशि 6 हजार रूपये प्रतिपूर्ति पर विचार किया जा सकता है। ~~यथापि~~ अपितु अन्य ग्राम पंचायतों के ग्राम रोजगार सहायक एवं उपयंत्री मनरेगा जिनके द्वारा मोबाईल डिवाईज का पंजीयन नरेगा सॉफ्ट में कर लिया गया है अथवा स्वयं के मोबाईल डिवाईज को नरेगा सॉफ्ट में मोबाईल मॉनिटरिंग सिस्टम अंतर्गत पंजीयन कर मजदूरों की उपस्थिति, कार्य का मूल्यांकन आदि आवश्यक डाटा अपलोड कर सकते हैं।

18/4/16

(रघुराज राजेन्द्रन)
आयुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद्,
भोपाल

F NS ----